न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़
पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 07 / अपील / 23

तारीख दायराः 28.06.2023

सांवरलाल पुत्र रामप्रताप जाति दांगी निवासी रघुनाथपुरा तहसील रायपुर जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार रायपुर (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार रायपुर मि0 नं0 31 / 2023 के अनुसरण में नीलामी इश्तिहार क्रमांक 776 दिनांक 23.06.2023 अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

उपस्थितः— श्री पूरीलाल राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

दिनांकः 05.03.2024

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के आदेश अन्तर्गत मि0 नं0 31 / 2023 के अनुसरण में नीलामी इश्तिहार क्रमांक 776 दिनांक 23.06.2023 अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट 1956 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 90ए की सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नोटिस में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सूचित किया था कि ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा नं0 326 रकबा 0.0885 हैक्टेयर की अपनी निजी खातेदारी भूमि में अकृषि प्रयोजन के लिए ईंट भट्टा लगा रखा है। कृषि भूमि होने के कारण आपकी भूमि सिवायचक सरकार के खाते दर्ज की जा सकती है। अतः जर्ये नोटिस आपसे यह हेतुक दर्शाने की अपेक्षा की जाती है कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत कार्यवाही की जावे तथा प्रकरण भूमि सिवायचक दर्ज करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा को भेजा जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने नोटिस में वर्णित संभावित कार्यवाही के परे जाकर अपीलार्थी की आराजी में रखी ईटों को जप्त कर लिया व आदेश क्रमांक 776 दिनांक 23.06.23 से नीलामी ईश्तिहार जारी कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनिय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया है उसमें जप्ती व नीलामी के संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जप्ती व नीलामी से संबधित पारित निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में किया गया है जिस कारण सीपीसी 1908 की आदेश 20 नियम 5 के अनुसार विधिवत सूचना दी जानी चाहिए थी तथा पारित निर्णय के बारे में बताया जान चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा उसके कुएं निर्माण एवं मकान निर्माण के लिए ईटें बनाई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर निर्णय पारित कर नीलामी कार्यवाही की जा रही है जो विधी की सम्यक प्रक्रिया के विरूद्ध तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

जिला कलक्टर
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा कारित कृत्य कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण से संबंधित पत्रावली तलब की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह पुष्टि होती है कि अपीलार्थी जिस नीलामी ईश्तिहार आदेश कमांक 776 दिनांक 23.06.2023 को लेकर पेश आया है वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.06.2023 के संदर्भ में है। निर्णयानुसार तहसीलदार रायपुर ने संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर को ईट भट्टे से लगभग एक लाख ईटों की जप्ती की कार्यवाही कर फर्द जप्ती न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिये। निर्णयानुसार ही संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को नीलामी की कार्यवाही हेतु लिखा गया तथा नीलामी की कार्यवाही नीलामी ईश्तिहार संख्या 776 दिनांक 23.06.2023 को मजमय आम में संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.06.2023 को बोली पुकरवाई गई जिसमें अंतिम बोली अपीलार्थी की पत्नी रेखाबाई के नाम 4,50,100 रूपये में छूटी। अपीलार्थी दिनांक 16.06.2023 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश न कर नीलामी ईश्तिहार संख्या 776 दिनांक 23.06.2023 के विरूद्ध पेश आया है जो विधी विरूद्ध है अपीलार्थी को मूल निर्णय दिनांक 16.06.2023 के विरूद्ध अपील पेश कर अनुतोष चाहा जाना था जो नहीं चाहा गया अतः अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि जप्तशुदा ईटों की नीलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में नियमानुसार जमा करायें। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 05.03.24 को मेरे खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड)
जिला कलक्टर
झालावाड

Scanned with OKEN Scanner